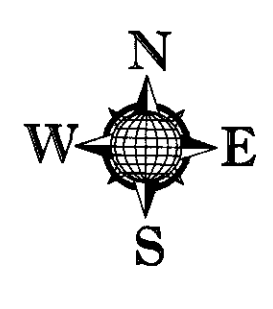
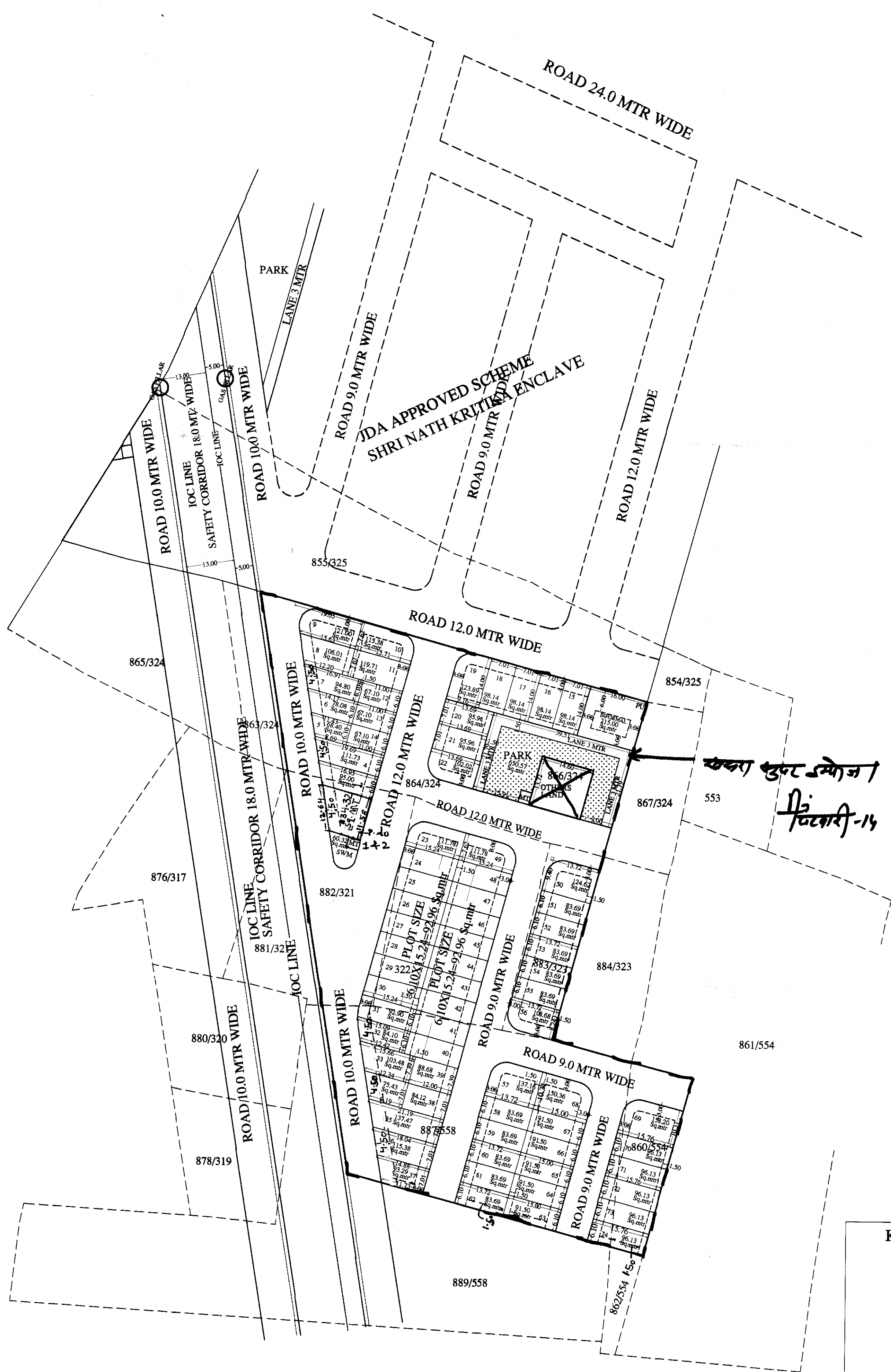


LAY OUT PLAN OF SCHEME
SHYAMASHISH PADAM VATIKA-Ist
AT VILLAGE :-NAGAL PURAN, TEH.-:CHAKSU, JAIPUR.
KHASRA NO.-864/324,882/321,322,883/323,887/558,860/554

1723.
B
17-4-26



SCALE:-1=750



खसरा सुपर इम्पोज
प्लान-15

नोट:-

- राजस्व ग्राम नांगलपूरण तह. चाकसू के ख.नं. 887/558, 322, 864/324, 882/321, 883/323, 860/554 कुल किता 06 कुल रकबा 1.30 हैक्ट. भूमि क्षेत्र की 90-ए आवासीय प्रयोजनार्थ आदेश संख्या LU2012/JDA/2024-25/104087 दिनांक 19.05.2025 के द्वारा पूर्ण की गयी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार यू-2 एच.आई.जेड व जोनल डवलपमेन्ट प्लान प्लानिंग जोन-15 के अनुसार भू-उपयोग स्पेशल एरिया (ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट) दर्शित है। शिवदासपुरा स्पेशल एरिया प्लान अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय दर्शित है।
- योजना का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 403वीं बैठक दिनांक 15.07.2025 के एजेण्डा संख्या 21 में किया गया है।
- प्रस्तावित योजना में पूर्व अनुमोदित योजना श्रीनाथ कृतिका एनक्लेव में आई.ओ.सी.एल. लाइन का सेफ्टी कोरीडोर पूर्व कमिटमेंट के अनुसार 18 मीटर रखते हुये दोनो ओर 10-10 मीटर सड़क प्रस्तावित की गयी है।
- प्रस्तावित योजना में समिति के निर्णय बिन्दु संख्या 4 की पालना में भूखण्ड संख्या 22 व 23 के मध्य प्रस्तावित 12 मीटर सड़क को योजना की पूर्वी सीमा तक निरन्तरता में कायम किया गया है तथा उपरोक्त के कम में अन्य साथ लगती हुई योजना में भी उक्त 12 मीटर सड़क को कायम किया गया है तथा पार्क एवं अन्य योजना के मध्य 3 मीटर लेन प्रस्तावित की गयी है।
- योजना में फुटकर व्यावसायिक भूखण्ड पर प्रावधान नविवि के आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होंगे।
- योजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के समतुल्य राशि ली गयी है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स-जविप्रा विनियम 2025 के अनुसार देय होंगे।
- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 12.50 प्रतिशत रहन रखा जाना आवश्यक है। योजना में आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल 913.57 वर्ग मी. के लिए भूसं. 6, 8, 9, एवम 32 से 37 कुल भूखण्ड 9 कुल क्षेत्रफल 914.24 वर्गमीटर (12.51 प्रतिशत) रहन रखा गया है।
- राजस्व शाखा द्वारा मानचित्र पर खसरा सुपरइम्पोज किया गया।

JEN
(ZONE-14)
ANIL KUMAR SARASWAT

T.B.R
(ZONE-14)
(KRITIKA SHARMA)

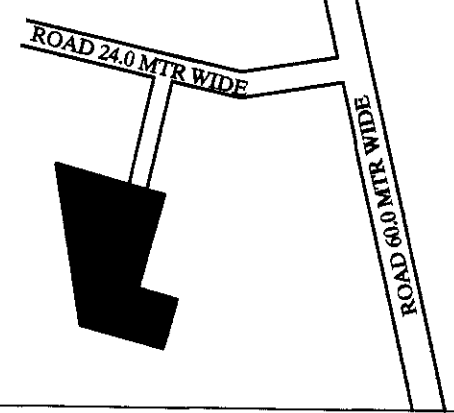
D.T.P.
(ZONE-14)
(MUKESH KUMAR)

D.C.
(ZONE-14)
(HEMANT KUMAR)

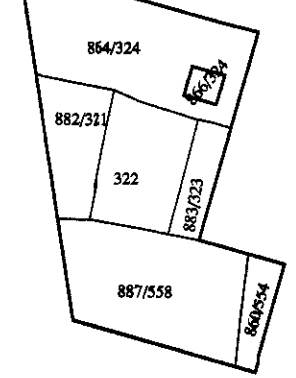
D.T.P. B.P.C.(L.P)
(AJAY GOYAL)

A.C.T.
B.P.C.
RINKU BANSAL

KEY PLAN



KHASRA PLAN



AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	7093.56	54.57 %
2.	INFORMAL	215.00	01.65 %
(A) TOTAL = 1+2		7308.56	56.22 %
3.	PARK	650.50	05.00 %
4.	SWM	50.32	00.39 %
5.	MT+PU	30.00	00.23 %
6.	ROAD	4960.62	38.16 %
TOTAL = 3+4+5+6		5691.44	43.78 %
SCHEME AREA		13000.00	100.00 %

NAME OF SOCIETY : NIJI KHATEDAR		
NAME OF SCHEME : SHYAMASHISH PADAM VATIKA-Ist		
ZONE NO. ()	SECTOR NO.	
SCALE : 1=750	DRG. NO.	
A. T. P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.
JAIPUR DEVELOPEMENT AUTHORITY, JAIPUR.		
PLANNER :		